संख्या–928/44–1–2012–194/88

प्रेषक,

संजय प्रसाद,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक 20 सितम्बर,2012

विषय :– राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के निदेशक मण्डल में गैर सरकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष नामित किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विङ्षय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि न्याय विभाग के शासनादेश संख्या–415/सात/जीसी/75, दिनांक 29 जुलाई,1975 (प्रति संलग्न) एवं सार्वजनिक उद्यम व्यूरो अनुभाग के अर्ध0शा0प0सं0 3522/व्यूरो–79, दिनांक 16.10.79 (प्रति संलग्न) में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या–707/44–1–2007--194/88 टी.सी. दिनांक 04 जून,2007 जिसमें सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के निदेशक मण्डल में उपाध्यक्ष नामित किये जाने की व्यवस्था की गयी थी, को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त करने तथा इससे पूर्व की व्यवस्था को बहाल करते हुए राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों (ऐसे निगम/उपक्रम जहॉ चुनाव के माध्यम से अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का चयन हुआ हो, को छोड़कर), में गैर सरकारी व्यक्तियों को भी अध्यक्ष नामित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। इस प्रकार प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के निदेशक मण्डल में गैर सरकारी व्यक्तियों को पुनः अध्यक्ष के रुप में नामित किया जा सकेगा।

2. प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के निदेशक मण्डल में गैर सरकारी अध्यक्ष नियुक्त कराये जाने के संबंध में कार्यवाही सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा स्वयं सक्षम स्तर (मा0 मुख्य मंत्री) का अनुमोदन प्राप्त कर की जायेगी।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(संजय प्रसाद)
सचिव ।

संख्या–928(1)/44–1–2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के समस्त प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
2. महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उ0 प्र0 शासन को प्रमुख सचिव के सूचनार्थ।
5. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी अनुभाग–1, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
6. निदेशक, सूचना एवं विशेष कार्याधिकारी सूचना, मुख्य मंत्री, उ0प्र0, लखनऊ ।
7. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(उमा कान्त मिश्र)
अनु सचिव ।

writ

संख्या 415/सात/जी०सी०/75

प्रेषक,

श्री एम० पी० टण्डन,
उप–सचिव एवं उप–विधि परामर्शी,
उत्तर प्रदेश शासन, विधान भवन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

दिनांक, लखनऊ, जुलाई 29, 1975।

न्याय (कन्वेयंसिंग) अनुभाग

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप अपनी कम्पनी के आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन में निम्नलिखित आर्टिकिल शामिल करने की यथासंभव शीघ्र कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

"(a) The Governor of Uttar Pradesh may from time to time issue directives to the Company as to the exercise and performance of its functions in matters involving the security of the State of sub stantial public interest and such other directives as he may consider necessary in regard to the finances and conduct of business and affairs of the Company and in the like manner may vary and annual any such directives(s.) The Company shall give immediate effect to the directive(s) so issued.

(b) The Governor of Uttar Pradesh mah call for such returns, accounts and other information with respect to the properties and activities of the Company as may be required by him from time to time."

2. मुझे यह भी कहना है कि आप अपनी सब्सीडियरी कम्पनी में भी उपरिलिखित आर्टिकिल शामिल करने की यथासंभव शीघ्र कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। भविष्य में जो कम्पनी आप स्थापित करायें उनमें कृपया यह ध्यान रखें कि उपरलिखित आर्टिकिल भी शामिल किया जाय।

भवदीय,
एम० पी० टंडन,
उप–सचिव एवं उप–विधि परामर्शी।

अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 3522/ब्यूरो/79

भक्ति देव मुखर्जी
उप–सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार,
सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग–1
लखनऊ, दिनांक 16 अक्टूबर, 1979।

प्रिय महोदय,

प्रदेश की समस्त सरकारी कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशकगणों को संबोधित शासन के परिपत्र संख्या 415/7 जी० सी०/75, दिनांक 29 जलाई, 1975 में आप से अपेक्षा की गयी थी कि आप अपनी कम्पनी के आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को निदेश देने हेतु अधिकार प्रदान करने विषयक उक्त पत्र में उल्लिखित खण्ड को शामिल करने की कार्यवाही करें तथा उसी प्रकार के प्राविधान को अपनी सब्सीडियरी कम्पनी के आर्टिकिल्स में भी शामिल किये जाने की कार्यवाही करें। साथ में उक्त परिपत्र में यह भी अपेक्षा की गयी थी कि भविष्य में जो कम्पनी आप स्थापित स्थापित करायें उनमें कृपया यह ध्यान रखें कि उपरोक्तानुसार प्राविधान उनके आर्टिकिल्स में भी रखे जांय। उक्त परिपत्र के संदर्भ में कृपया मेरे अ० शा० पत्र सं० 2332/ब्यूरो/75-31 (75)/74, दिनांक 12 सितम्बर, 1975 (प्रतिलिपि सुगम संदर्भ हेतु संलग्न है) का भी अवलोकन करें जिसमें आपसे अनुरोध किया गया था कि आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन में उपरोक्तानुसार प्राविधान शामिल करने के उपरान्त आप कृपया इसकी सूचना सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग को भी देने का कष्ट करें।

2. आपसे अनुरोध कि शासन को पुष्टि हेतु यह सूचित करने का कष्ट करें कि आपकी कम्पनी के आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन में उपरोक्तानुसार प्राविधान शामिल कर लिया गया है तथा यह भी सूचित करें कि उसी प्रकार का प्राविधान आपकी सब्सीडियरी कम्पनी (यदि कोई हो) के आर्टिकिल्स में भी शामिल किया गया है या नहीं। कृपया उपरोक्त विषय में सूचना होलडिंग कम्पनी तथा सब्सीडियरी कम्पनी के विषय में अलग–अलग यथासंभव शीघ्र भेजने का कष्ट करें। यदि होल्डिंग/सब्सीडियरी कम्पनी के आर्टिकिल्स में उपरोक्तानुसार प्राविधान नहीं है तो इसे शामिल किये जाने की तुरन्त कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

प्रदेश की समस्त सरकारी कम्पनियों के
प्रबन्ध निदेशकगण (नाम से)।

भवदीय,
भक्ति देव मुखर्जी।